**राजस्थान सरकार**

**अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर**

क्रमांकः–स .3–3 (2) स्था/मंत्रा./अभि./2016/ 15563-66 दिनांकः– 8-11-17

**–:आदेश:–**

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.II/94 दिनांक 11.07.2017 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनाक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड–पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे के अनुसार (परिशिष्ठ–क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | सेवानिवृति से पूर्व का पद एंव विभाग | जन्म तिथि | कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है। | वि.विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | श्री हस्तीमल गदीया, | रीडर, न्याय विभाग | 11.07.54 | सहा.निदे.अभि.उदयपुर | तृतीय बार |
| 2. | श्रीमती शशीकला जैन, | लिपिक ग्रेड–द्वितीय, महिला औ.प्र.संस्थान | 31.10.54 | सहा.निदे.अभि.उदयपुर | तृतीय बार |
| 3. | श्री अब्दूल गनी, | लिपिक ग्रेड–द्वितीय, अभियोजन विभाग | 04.06.54 | सहा.निदे.अभि.उदयपुर | तृतीय बार |
| 4. | श्री दिनेश चन्द शर्मा, | कार्यालय सहायक, अभियोजन विभाग | 17.01.55 | सहा.निदे.अभि. करोली | तृतीय बार |

1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.II/94 दिनांक 11.07.2017 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।

2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।

3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।

4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।

5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिंनाक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–02–01–(01) संवेतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप–10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 99929 दिनांक 01.11.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है। सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

sd/-

**(देवेन्द्र दीक्षित)**
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप–10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,उदयपुर/करोली।
4. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
5. रक्षित पत्रावली।

7/11/17

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर